

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/15
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00015
CICOM/R/2017/01462

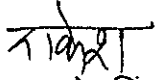
दिनांक: 10.01.2018

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा - 2,
राजेन्द्र पथ बरौनी, पो0 - बरौनी,
जिला - बेगूसराय, बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 10.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.12.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है तथा प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि बिंदु सं. 3 एवं 4 की सूचनाएं नहीं दी गई हैं।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 11.12.2017 को प्राप्त हुआ तथा आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री ए. के. शर्मा द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत संयुक्त सचिव ((प्र०) श्री एस. पी. वेक से सहायता लेकर दिनांक 20.12.2017 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को बिंदुवार सूचना प्रेषित कर दी गई है। श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

C.I.C.O. A. आ. ०
RECEIVED
11 JAN 2018
D. No.
Initials.